



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276256
CG-DL-E-16092026-276256

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4832]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/भाद्र 19, 1948

No. 4832]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/BHADRA 19, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2026

का.आ. 5022(अ).— जबकि मेसर्स पावरग्रिड बेलारी दावनगेरे ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-9, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली, भारत -110016, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना “दावणगेरे (0.25 गीगावाट) और बेल्लारी (2.75 गीगावाट) में अतिरिक्त आरई क्षमता को जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करना।” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/113/2025-PG दिनांक 08.12.2025 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना “दावणगेरे (0.25 गीगावाट) और बेल्लारी (2.75 गीगावाट) में अतिरिक्त आरई क्षमता को जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करना।” के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स पावरग्रिड बेलारी दावनगेरे ट्रांसमिशन लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों दक्षिण भारत राष्ट्रमत (हिंदी) दिनांक 11.03.2026, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) दिनांक 11.03.2026, विजया कर्नाटक (कन्नड़) दिनांक 11.03.2026 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 28.03.2026 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन

मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियाँ / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स पावरग्रिड बेलारी दावनगेरे ट्रांसमिशन लिमिटेड ने 22.07.2026 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई टिप्पणी / अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत “दावणगेरे (0.25 गीगावाट) और बेल्लारी (2.75 गीगावाट) में अतिरिक्त आरई क्षमता को जोड़ने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत करना।” के तहत ट्रांसमिशन लाइन विद्युत के लिए उसे वे सभी शक्तियाँ प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किए गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किए जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें हैं:

- बेल्लारी - दावणगेरे द्वितीय 400 केवी (क्वाड) डी/सी लाइन

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन कर्नाटक के निम्नांकित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी

गांव के नाम	तहसील	जिला
अडाविमल्लनकेरे (अडावि मल्लनकेरी), अडाविमल्लनकेरे थांडा, वरकनहल्ली (वरकनाहल्ली), सोगी (सोगे), नंदीहल्ली (नंधीहल्ली), मुसुवनकल्लाहल्ली (मुसुकिना कल्लाहल्ली), महाजनदाहल्ली (महाजनधहल्ली), उत्तांगी (उत्थांगी), होलागुंधी (होलागुंधा), भाविहल्ली, तलकल्लू, सिद्धेश्वरा मंदिर (सिद्धेश्वरा देवालय), मुदेनुरु (मुधेनुरु), इट्टिगी	हुविना हाडागल्ली (हुविना हाडागली, हाडागली)	विजयनगरा
हनुमगोंडानहल्ली (बोदिगेरहल्ली), मोरागेरी (मुरगेरी),	हगारीबोम्मनहल्ली	विजयनगरा
कणिवेहल्ली (कणिविहल्ली), अनाजीगेरे (अनाजिगेरी), मादिहल्ली, होसाकोटे, कोंगाना होसुरु, नंदीवेवुरु, नंदीवेवुरु थांडा, कोमारनहल्ली, अडविहल्ली (अडिविहल्ली), अरसीकेरे (अरसीकेरी), बुदिहालू, सासविहल्ली (ससविहल्ली), मुत्तिगी, मुत्तिगी हल्ला, निलुवंजी (निलवनजी), मत्तिहल्ली, जोइसलिंगपुर (जोशीलिंगपुरा), कडबागेरे (कडबागेरी), हगरीगुडीहल्ली (हगरी गूदिहल्ली), पृथ्वीश्वरा (पलथेश्वरा), बेण्णिहल्ली (बेण्णेहल्ली), निच्छापुर (निच्छापुरा), चिगटेरी, मैदुरु (मैदुरु), कोंगना होसुरु वन सं. 1, जाजीकलगुड्डा आरक्षित वन, जाजीकलगुड्डा कणिविहल्ली, चिगटेरी हिल ब्लॉक सं. 4, मैदुरु हिल ब्लॉक सं. 3, स्त्रींगारा थोटा (श्रृंगारथोटा) हिल ब्लॉक सं. 7, सिंगाराथोटा (स्त्रींगारा थोटा, श्रृंगारथोटा), निच्छापुरा हिल ब्लॉक सं. 6, कोमारनहल्ली वन ब्लॉक सं. 2, जिट्टिनकट्टी (जित्तिनकट्टी) उत्तर आरक्षित वन, निच्चाव्वानाहल्ली (निच्चावनाहल्ली), हिक्किमगेरी (हिक्किमगेरा), भाविहल्ली, होसा ओबालापुर (होसा ओबालापुरा), हुनासिहल्ली, कसवनहल्ली, कुणेमादिहल्ली, लोलेश्वरा, तिप्पनहल्ली, हले ओबालापुर (हले ओबालापुरा), चिक्का कब्बाली, गुडीहालू, केरेगुडीहल्ली, कोड्कोल्ला, वसवना गुडी, चिक्का हगारी आर (चिक्का हगारी नदी), तिम्लपुर, करडी गुड्डा	हरपनहल्ली (हरपनहल्ली)	विजयनगरा
बसवनकोटे, सिद्धानकोटे (सिद्दयानकोटे), उज्जप्पावडेरहल्ली, वरविनाहल्ली, उच्चंगीपुर (उच्चंगीपुरा), गुड्डानाडकनहल्ली, उरलाकट्टे, दिदिगे, केंचम्मनहल्ली (केंचम्मनागथिहल्ली), बड्बाबसवनहल्ली, असगोडु, अंकलाहल्ली, राजापुरा, पल्लागट्टा (पल्लागट्टे), गोडे, ओबालापुर (ओबालापुरा), मसानिकट्टे, कुलमगट्टा, मरिकुंटे, कल्लेणहल्ली, लिंगनहल्ली (लिंगन्नहल्ली), सुरगोंडानहल्ली (सोरागोंडानहल्ली), काटेनहल्ली (काचेनहल्ली),	जगलूर (जगलूर)	दावणगेरे (दावणागेरे)

पालनायकनकोटे (पालनाइकनकोटे), मिनिगरहल्ली (मीनिगरहल्ली), मेदिकेरिहल्ली (मेदेकेरेहल्ली, मेदाकेरेनाहल्ली), मदनहल्ली, बोरपुरा, मुश्टीगरहल्ली (मुस्तीगरहल्ली), नरेनाहल्ली, अज्जीबोम्मनहल्ली, (अज्जाम्मोमानाहल्ली) सुरडुहल्ली (सुरेडुहल्ली), कोडादागुड्डा (कोडाथागुड्डा), बसवपुर (बूदीगुप्पे बसवपुरा), चेन्नापुरा, हिरे अरीकेरे (हिरे अराकेरे), देवीकेरे, चिक्का अरीकेरे (चिक्काराकेरे), हलवादंडी, सेट्टीगुंडनहल्ली (शेट्टीगोंडानहल्ली), मदागिनकेरे (मेदागिनकेरे), बग्गेनहल्ली, रास्ते माचिकेरे (रास्तेमाचिकेरे), व्यासगोंडानहल्ली (वैश्यगोंडानहल्ली), कस्तूरीपुरा, बुल्लनहल्ली, गोपागोंडानहल्ली, कुल्लोबनहल्ली, कोराटिकेरे (कोराटागेरे), गुल्लीदुर्गा, सोमनहल्ली, संते मुद्दापुरा (संतेमुद्दापुरा), बिस्तुवल्ली, रास्ते मकुंटे (रास्तेमकुंटे), कट्टिगेहल्ली, गोलारहट्टी, लंबानीहट्टी, महाराजारहट्टी, होसुरु, वड्डारहट्टी, उद्बोरनहल्ली, रंगय्यानदुर्गा आरक्षित वन।		
---	--	--

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स पावरग्रिड बेलारी दावनगेरे ट्रांसमिशन लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- vi. मेसर्स पावरग्रिड बेलारी दावनगेरे ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/76/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER**ORDER**

New Delhi, the 9th September, 2026

S.O. 5022(E).— Whereas M/s POWERGRID Bellary Davanagere Transmission Limited, the applicant with its registered Office at B-9, Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi, India -110016, India, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme “Transmission system strengthening for integration of additional RE potential at Davanagere (0.25 GW) and Bellary (2.75 GW)”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its File No. 25-17/113/2025-PG dated 08.12.2025 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme “Transmission system strengthening for integration of additional RE potential at Davanagere (0.25 GW) and Bellary (2.75 GW)”.

M/s POWERGRID Bellary Davanagere Transmission Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Dakshin Bharat Rashtamat (Hindi) dated 11.03.2026, The New Indian Express (English) dated 11.03.2026, Vijaya Karnataka (Kannada) dated 11.03.2026 and in Weekly Gazette of India dated 28.03.2026 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 2 Months from the date of publication. Subsequently, M/s POWERGRID Bellary Davanagere Transmission Limited has submitted an affidavit dated 22.07.2026 declaring that no observation/representation was received within 2 Months from the date of publication of public notice.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission system strengthening for integration of additional RE potential at Davanagere (0.25 GW) and Bellary (2.75 GW).”

The following overhead line is covered under this scheme:

- Bellary - Davanagere 2nd 400kV (Quad) D/c line

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Karnataka:

Name of the villages	Tehsil	District
Adavimallanakere (Adavi Mallanakere), Adavimallanakere Tanda, Varakanahalli (Varkanahalli), Sogi (Soge), Nandihalli (Nandihalli), Musuvanakahalli (Musukina Kallahalli), Mahajanadahalli (Mahajandahalli), Uttangi (Utthangi), Holagundi (Holagundha), Bhavihalli, Talakallu, Siddheshwara Temple (Siddheshwara Devalaya), Mudenu (Mudhenuru), Ittigi	Huvvina Hadagalli (Huvvina Hadagali, Hadagali)	Vijayanagara
Hanumagondanahalli (Bodigerahalli), Morageri (Murugeri)	Hagaribommanahalli	Vijayanagara
Kanivehalli (Kanivihalli), Anajigere (Anajigeri), Madihalli, Hosakote, Kongana Hosuru, Nandibevuru, Nandibevuru Tanda, Komaranahalli, Adavihalli (Adivihalli), Arasikere (Arasikeri), Budihalli, Sasavihalli (Sasvihalli), Muttigi, Muttigi Halla, Niluvanji (Nilavanji), Mattihalli, Joisalingapur (Joshilingapura), Kadabagere (Kadabageri), Hagarigudihalli (Hagari Goodihalli), Prithveswara (Palatheshwara), Bennihalli (Bennehalli), Nichchapur (Nicchapura), Chigateri, Maiduru (Myduru), Kongana Hosuru Forest No.1, Jajikalgudda Reserve Forest, Jajikalgudda Kanivihalli, Chigateri Hill Block No.4, Myduru Hill Block No. 3, Sringeri Thota (Shrungaratota) Hill Block No.7, Singaratota (Sringeri Thota, Shrungaratota), Nicchapura Hill Block No.6, Komaranahalli Forest Block No. 2, Jittinakatti (Jithinakatti) North Reserve Forest, Nichchavvanahalli (Nicchavanahalli), Hikkimgeri (Hikkimgera), Bhavihalli, Hosa obalapur (Hosa obalapura), Hunasihalli, Kasavanahalli, Kunemadihalli, Loleswara, Tippanahalli, Hale obalapur (Hale obalapura) Chikka Kabbali, Gudihalli, Keregudihalli, Kadakolla, Basavana Gudi, Chikka Hagari R (Chikka Hagari River), Timmalapur, Karadi Gudda	Harpanahalli (Harapanahalli)	Vijayanagara

Basavanakote, Siddayanakote (Siddaiahnakote), Ujjappavaderahalli, Varavinahalli, Uchchangipur (Ucchangipura), Guddanaikanahalli, Urlakatte, Diddige, Kenchammanahalli (Kenchammanagathihalli), Badabasavanahalli, Asagodu, Ankalahalli, Rajapura, Pallagatta (Pallagatte), Gode, Obalapur (Obalapura), Masanikatte, Kulamgatta, Marikunte, Kallenahalli, Lingannahalli (Lingannanahalli), Suragondanahalli (Sooragondanahalli), Katenahalli (Kachenahalli), Palanayakanakote (Palanaikanakote), Minigarahalli (Meenigarahalli), Medikerihalli (Medekerehalli), Medakeranahalli, Madanahalli, Borapura, Mushtigarahalli (Mustigarahalli), Narenahalli, Ajjibommanahalli, (Ajjammomanahalli) Suraddihalli (Sureddyhalli), Kodadagudda (Kodathagudda), Basavapur (Boodiguppe Basavapura), Chennapura, Hire Arikere (Hire Arakere), Devikere, Chikka Arikere (Chikkaarakere), Halavadandi, Settigundanahalli (Shettygondanahalli), Madaginakere (Medaginakere), Medakeranahalli, Baggenahalli, Raste Machikere (Rastemachikere), Vyasagondanahalli (Vysyagondanahalli), Kasturipura, Bullanahalli, Gopagondanahalli, Kullobanahalli, Koratikere (Koratagere), Guttidurga, Somanahalli, Sante Muddapura (Santemuddapura), Bistuvalli, Raste Makunte (Rastemakunte), Kattigehalli, Gollarahatti, Lambanihatti, Maharajarahatti, Hosuru, Vaddarahatti, Uddaboranahalli, Rangayyanadurga reserved forest.	Jagalur (Jagaluru)	Davanngere (Davanagere)
---	--------------------	-------------------------

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s POWERGRID Bellary Davanagere Transmission Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above-mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s POWERGRID Bellary Davanagere Transmission Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/76/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)